हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25.01.2024:—आज पत्रावली पेशी मे लि गई । प्रार्थी वकील उपस्थित। मूल वाद–पत्र नये वादपत्र प्रस्तुत करने कि अनुमति के साथ विड्रा कर लिया गया। मूल वाद पत्र विड्रा होने के कारण प्रार्थना–पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विड्रा होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:21:52 IST
Reason: SelfAttested